न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—58 / 2019 (2019 / 00163) वादपत्र

अनवान

1. सोहन पिता हजारी बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुखदेव पिता हजारी बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मुकेश कुमार चौधरी — अधिवक्ता वादी
2. सज्जन बैरवा — अधिवक्ता प्रतिवादी 1

निर्णय

दिनांक 23.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 10.02.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 879 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 882 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 899 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 900 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 08.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 319 में प्रस्तावित आराजी संख्या 900 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 879/2 रकबा 0.3650 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6650 है0 भूमि सोहन पिता हजारी बैरवा सा.देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 899 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 882 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 879/1 रकबा 0.450 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 है0 भूमि सुखदेव पिता हजारी बैरवा सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–58/2019 (2019/00163) वादपत्र

अनवान

1. सोहन पिता हजारी बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुखदेव पिता हजारी बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 319 में प्रस्तावित आराजी संख्या 900 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 879/2 रकबा 0.3650 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6650 है0 भूमि सोहन पिता हजारी बैरवा सा.देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 899 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 882 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 879/1 रकबा 0.450 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 है0 भूमि सुखदेव पिता हजारी बैरवा सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:10 IST
Reason: SelfAttested